अजमेर : सड़क किनारे प्रेस करने वाले को 598 करोड़ का आईटी नोटिस मिला

बताया जा रहा है कि करोड़ों के हीरे-जवाहरात की खरीद-फरोख्त से जुड़ा हुआ है नोटिस

- जांच सामने आया कि कपड़ों की प्रेस करने वाले पीड़ित जितेंद्र कुमार बड़लिया का पैन कार्ड करीब दो साल पहले गुम हो गया था
- पाली मारवाड़ निवासी शत्रुघ्न सिंह ने पैन कार्ड का इस्तेमाल कर जीएसटी नंबर हासिल किया और सूरत गुजरात में मैसर्स मनन इंटरप्राइजेज नाम से एक फर्म खड़ी कर दी
- फर्म के माध्यम से करोड़ों रुपए के हीरे-जवाहरात का कारोबार किया जा रहा था, महज 3 महीने में खाते से लगभग 600 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ, जिस पर बैंक की भूमिका पर सवाल उठे हैं

अजमेर, (निसं)। अजमेर शहर में धोखाधड़ी का एक ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसे सुनकर विभाग और आम जनता दोनों दंग हैं। रामगंज क्षेत्र में सड़क किनारे कपड़ों पर प्रेस करने वाले एक गरीब व्यक्ति को आयकर विभाग ने 598 करोड़ 50 लाख 37 हजार 726 रुपए के लेन-देन का नोटिस थमाया है।

जानकारी के अनुसार पीड़ित जितेन्द्र कुमार बड़लिया जो रामगंज स्थित सरकारी स्कूल के पास कपड़े प्रेस करने का ठेला लगाकर अपने परिवार का भरण-पोषण करता है। वह उस वक्त दहशत में आ गया जब एक अप्रैल को उसे करोड़ों के हीरे-जवाहरात की खरीद-फरोख्त से जुड़ा नोटिस मिला। अपनी आर्थिक स्थिति और नोटिस की भारी भरकम राशि के बीच तालमेल न देख, पीड़ित ने तुरंत अधिवक्ता राकेश ठाडा से संपर्क किया।

अधिवक्ता राकेश ठाडा द्वारा की गई शुरुआती पड़ताल में सामने आया कि यह पूरा मामला पैनकार्ड के दुरुपयोग से जुड़ा है। जांच सामने आया कि जितेंद्र का पैन कार्ड करीब दो साल पहले गुम हो गया था। पाली मारवाड़ निवासी शत्रुघ्न सिंह ने जितेंद्र के पैन कार्ड का इस्तेमाल कर जीएसटी नंबर हासिल किया और सूरत गुजरात में मैसर्स मनन इंटरप्राइजेज नाम से एक फर्म खड़ी कर दी। इस फर्म के माध्यम से करोड़ों रुपए के हीरे-जवाहरात का कारोबार किया जा रहा था। महज 3 महीने के भीतर बैंक खाते से लगभग 600 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ, जिस पर बैंक की भूमिका पर सवाल उठे हैं।

पीड़ित के वकील ने संबंधित बैंक मैनेजर को भी नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। एडवोकेट ठाडा ने संदेह जताया है कि आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार इतने बड़े ट्रांजैक्शन होने पर अधिकारियों को सूचित क्यों नहीं किया गया? बिना बैंक की मिलीभगत के इतने बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा संभव नहीं है। प्रेसकर्मी जितेंद्र कुमार ने गंज थाना पुलिस में आरोपी शत्रुघ्न सिंह के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी है और सूरत स्थित फर्म व बैंक खातों के रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं।

अजमेर में महिला से 1.19 लाख रुपए की सायबर ठगी

- लालच देकर तीन ट्रांजैक्शन में रकम ट्रांसफर करवाई, पुलिस जांच में जुटी

अजमेर, (निसं)। शहर में ऑनलाइन ठगी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है और सायबर अपराधी नए-नए तरीकों से लोगों को अपना शिकार बना रहे है। ताजा मामला धोलाभाटा स्थित आनंदपुरी क्षेत्र का सामने आया है, जहां एक महिला सायबर ठगी का शिकार हो गई।

जानकारी के अनुसार आनंदपुरी निवासी जेनिका जोनवाल को सायबर ठगों ने लालच देकर अपने जाल में फंसा लिया। ठगों ने झांसा देकर महिला से अलग-अलग तीन ट्रांजेक्शन के जरिए 1 लाख 19 हजार 500 रुपए की ठगी को अंजाम दिया गया। अलवर गेट थाने के एएसआई राजपाल सिंह ने बताया कि पीड़िता ने सतर्कता दिखाते हुए तुरंत सायबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत मिलते ही संबंधित एजेंसियों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए करीब 55 हजार रुपए की राशि को होल्ड करवा दिया, जिससे आंशिक राहत मिली है। मामले में अलवर गेट थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। थाना प्रभारी नरेंद्र सिंह जाखड़ के निर्देशन में पुलिस टीम पूरे मामले की जांच कर रही है और सायबर ठगों की पहचान कर उन्हें पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस ने आमजन से अपील की है कि किसी भी अनजान कॉल, लिंक या लालच देने वाले ऑफर के झांसे में न आएं। किसी भी प्रकार की संदिग्ध ऑनलाइन गतिविधि होने पर तुरंत सायबर हेल्पलाइन या नजदीकी थाने में सूचना दें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके।

नशीली गोलियों के साथ एक गिरफ्तार

गजसिंहपुर, (निसं)। पुलिस ने अवैध नशीली गोलियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान 25,800 नशीली टैबलेट बरामद कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। यह कार्रवाई मेडिकल नशे पर प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से की गई।

पुलिस के अनुसार, बरामद की गई गोलियों में 12,000 प्रेगाबिलिन और 13,800 टैपेंटाडोल शामिल हैं। यह खेप गजसिंहपुर के पास भारत माला रोड पर पकड़ी गई। गिरफ्तार आरोपी भगवाना राम उर्फ भोली नायक है, जो वार्ड नंबर 5, गजसिंहपुर का निवासी है। कार्रवाई के दौरान मौके पर औषधी नियंत्रक विभाग के अधिकारियों को भी बुलाया गया, ताकि बरामद की गई दवाओं की जांच की जा सके।

जोधपुर में बुजुर्ग को केसर की खेती का प्रलोभन देकर दस लाख की ठगी

- पिता, पुत्र और पुत्री ने मिलकर बुजुर्ग से धोखाधड़ी की, मामला दर्ज
- बताया जा रहा है कि अन्य लोगों से भी ठगी हुई है

जोधपुर, (कासं)। शहर के सूरसागर स्थित राजबाग में रहने वाले एक बुजुर्ग व्यक्ति को पिता पुत्र और पुत्री ने मिलकर धोखाधड़ी की। पीड़ित को केसर की खेती का प्रलोभन देकर दस लाख तक का इंवेस्टमेंट करवाने के साथ फ्रॉड कर लिया। इसके अलावा कई अन्य पीड़ित भी है। हालांकि मामला अभी एक ही दर्ज हुआ है। घटना को लेकर नागौरी गेट पुलिस जांच में जुटी हुई है।

नागौरी गेट पुलिस ने बताया कि राजबाग, सूरसागर निवासी किशनलाल गहलोत की तरफ से रिपोर्ट दी गई। इसमें बताया कि उनकी पहचान सेवाराम शर्मा नाम के शख्स से है। उसके बेटे अक्षत और पुत्री मोल्ली ने केसर की खेती के बारे में बताया था। इन लोगों द्वारा केसर खेती को लेकर सोशल मीडिया पर भी काफी प्रचार प्रसार किया गया। चूंकि सेवाराम उनके मिलने वाले थे और बेटा-बेटी से पहचान हो गई। तब उन्होंने केसर खेती के बारे में जानकारी दी और कहा कि केसर कश्मीर से बाहर से मंगवाने के लिए सेफरान एक्ट लागू है, जिस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध है। उन्होंने केसर खेती के बारे जानकारी दी कि वे इसके लिए सेटअप लगाकर देंगे। साथ ही कार्रवाई का भी सामना करना पड़ सकता है। उसका अच्छा मार्जिन भी मिलेगा। केसर को एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है। दस किलो तक एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे दस लाख तक का मुनाफा मिलेगा। इन लोगों ने उनसे 25 हजार रुपए पहले ले लिए फिर सेटअप लगाने के नाम पर लाखों का इंवेस्टमेंट करवा दिया।

परिवादी किशनलाल ने रिपोर्ट में बताया कि आरोपियों ने समझाया कि एग्रोफोनिक सिस्टम से केसर की खेती की जा सकती है। उत्पादन भी खुद कर सकते है। इसके बीच 14-15 सौ रुपए किलो के भाव से बिकते है। बाद में खुद का उत्पादन करने से बीजों से फिर बीज तैयार कर सकते है। इस पर जीएसटी चार्ज भी शून्य होता है। बाद में परिवादी को पता लगा कि केसर को कश्मीर के बाहर से मंगवाने पर कानूनी कार्रवाई का भी सामना करना पड़ सकता है।

सेटअप के लिए सारा सामान अभियुक्तों द्वारा ही उनकी वास्तविक कीमतों पर दिलवाने की बात कही गयी एवं बीज बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के वास्तविक मूल्य पर उपलब्ध करवाएंगे व केसर के फूल से केशर निकालने तक हर कदम पर गाइड करेंगे। यह भी बताया गया कि बीज आपके यानी परिवादी के पते पर कुरियर से आयेंगे। इसमें जीएसटी शून्य है।

आरोपियों की बातों में आकर परिवादी किशनलाल ने दस लाख का इंवेस्टमेंट कर दिया। मगर बाद में वे टालमटोल जवाब देते रहे। उन्हें गुमराह किया गया, जबकि उन लोगों का पता था कि बीज कानूनन नहीं मंगाए जा सकते है। उन्होंने हल्के बीज और सस्ती दर वाले उपलब्ध करवाए, साथ ही सेटअप के लिए लगाई ट्यूब लाइट की कीमत 875 रुपए वसूली गई, जोकि बाजार में 500 की है। इस तरह साजो सामान पर भी ज्यादा पैसे वसूल किए। रिपोर्ट में आरोप है कि दस लाख का इंवेस्टमेंट करवाने के नाम पर फ्रॉड किया गया, पांच-छह अन्य लोगों को भी इसका शिकार बनाया गया है।

1700 लीटर अवैध डीजल जब्त, एक गिरफ्तार

हनुमानगढ़, (निसं)। गोलूवाला थाना क्षेत्र में एक पिकअप वाहन से 1700 लीटर अवैध डीजल जब्त किया गया है। इस मामले में एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है।

पुलिस को लंबे समय से इलाके में अवैध डीजल बिक्री की सूचना मिल रही थी। एनएच 62 कैंचियां पर एक ट्रांसपोर्ट की दुकान के सामने पिकअप से अवैध रूप से डीजल बेचा जा रहा था। सूचना पर पुलिस ने दबिश दी और पिकअप को थाने ले आई। गाड़ी की तलाशी लेने पर उसमें विशेष रूप से तैयार एक टैंक और पाइप सिस्टम मिला, जिसका उपयोग अवैध डीजल बिक्री के लिए किया जा रहा था। जांच में सामने आया कि पिकअप में लगभग 1700 लीटर डीजल भरा हुआ था। गिरफ्तार आरोपी की पहचान श्रीगंगानगर निवासी सुनील कुमार के रूप में हुई है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह पेट्रोल पंप से डीजल भरवाकर पिकअप में लगे टैंक के जरिए विभिन्न स्थानों पर सप्लाई करता था। वाहन में मोटर, पाइप और नाप-तौल के उपकरण भी लगाए गए थे। पुलिस ने मौके से अवैध डीजल, पिकअप वाहन और बिक्री में इस्तेमाल होने वाले सभी उपकरण जब्त कर लिए हैं।

उदयपुर की पहाड़ियों पर नया विवाद : हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा

उदयपुर, (कासं)। शहरी क्षेत्रों में लागू 'पहाड़ संरक्षण मॉडल नियमावली-2024' को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। इस नियमावली की वैधता को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर मुख्यपीठ ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब मांगा है।

जस्टिस डॉ. पुष्पेंद्र सिंह भाटी और जस्टिस संदीप शाह की खंडपीठ ने प्रारंभिक सुनवाई के दौरान इस मामले को पूर्व से लंबित याचिका के साथ सूचीबद्ध करने के निर्देश भी दिए हैं। याचिका उदयपुर की झील संरक्षण समिति द्वारा दायर की गई है, जिसमें कहा गया है कि 18 अप्रैल 2025 को अधिसूचित यह नियमावली राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 337 के तहत जारी की गई है, जबकि यह धारा पहाड़ संरक्षण के लिए नियम बनाने का अधिकार नहीं देती। ऐसे में यह नियमावली मूल कानून के दायरे से बाहर है। समिति ने आरोप लगाया कि यह नियमावली संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 48.ए का उल्लंघन करती है। साथ ही, उदयपुर मास्टर डेवलपमेंट प्लान के विपरीत पहाड़ियों पर हो रहे अवैध निर्माण और भूउपयोग परिवर्तन को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग की गई है। याचिका में यह भी कहा गया कि नई नियमावली हाईकोर्ट के पूर्व फैसलों अब्दुल रहमान (2004), राजेंद्र राजदान (2007) और गुलाब कोठारी (2017) सहित 2018 की फुल बेंच के निर्देशों का उल्लंघन करती है। समिति के अनुसार 2018 के नियमों को चुनौती देने वाली याचिका 23 मई 2025 को निस्तारित हो गई थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में दायर एसएलपी 17 नवंबर 2025 को वापस लेते हुए नई याचिका दायर करने की छूट दी गई, जिसके आधार पर वर्तमान याचिका दाखिल की गई है।

कार में लाई जा रही अवैध शराब पकड़ी

- पुलिस ने दो जनों को गिरफ्तार किया

खेतड़ी, (निसं)। खेतड़ीनगर पुलिस ने अवैध शराब के परिवहन पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने फार्च्यूनर गाड़ी में लाई जा रही अवैध शराब के साथ दो जनों को गिरफ्तार किया है।

थानाधिकारी राकेश कुमार ने बताया कि एएसआई कल्याण सिंह तंवर मय जाब्ता द्वारा थाना क्षेत्र के पीपली चौराहा जसरापुर पर नाकाबंदी की जा रही थी। नाकाबन्दी के दौरान एक सफेद रंग की फॉर्च्यूनर गाड़ी जसरापुर की साईड से आती दिखाई दी, जिसको एएसआई तंवर ने बैरिगेट लगाकर रोकने का प्रयास किया गया तो गाड़ी चालक ने तेजगति से वाहन को चलाकर सरकारी गाड़ी के टक्कर मारते हुए गाड़ी को लोयल की तरफ भगा ले गया। सरकारी जीप के टक्कर लगने से आगे का टायर फट गया व सरकारी गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। इस दौरान पुलिस टीम ने 112 की गाड़ी से फॉर्च्यूनर गाड़ी का 8-10 किमी तक लगातार पीछा कर उक्त गाड़ी को लोयल के बास सरदारपुरा के पास से जप्त किया, जिसमें तीन व्यक्ति थे, जिनके भागने पर पुलिस द्वारा पीछा कर दो आरोपी करण सिंह निवासी लोयल व महेन्द्र निवासी लोयल को पकड़ लिया। वहीं एक आरोपी राहुल मीणा निवासी नयाबास हाल लोयल मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया। पुलिस ने फॉर्च्यूनर गाड़ी को चैक किया तो देशी शराब की 25 पेटी मिली जिनको जब्त किया गया। थानाधिकारी ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ की जा रही है।

तस्कर गिरफ्तार

झुंझुनूं, (निसं)। जिले में कोतवाली थाना पुलिस ने रिको क्षेत्र से 303 ग्राम अवैध अफीम बरामद कर आरोपी सुमेर सिंह को गिरफ्तार किया है। तस्करी में प्रयुक्त स्विफ्ट कार को भी जब्त किया गया है। जिला विशेष शाखा से मिली पुख्ता सूचना के अनुसार रिको क्षेत्र में एक संदिग्ध स्विफ्ट कार खड़ी होने और उसमें अफीम होने की जानकारी दी गई। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस टीम हरकत में आई और मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की। कार की तलाशी लेने पर चालक के कब्जे से 303 ग्राम अवैध अफीम बरामद हुई।

दहेज की मांग से परेशान विवाहिता ने आत्महत्या की

चाचा की रिपोर्ट पर पति, सास और जेठ के खिलाफ मामला दर्ज

बीदासर, (निसं)। कस्बे के वार्ड 24 निवासी एक 20 वर्षीय विवाहिता ने मंगलवार को दहेज की मांग से तंग और परेशान होकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना पर पहुंची बीदासर थाना पुलिस ने शव को बीदासर के राजकीय टांटिया सीएचसी की मोर्चरी में रखवाया, जहां मंगलवार की देर शाम पुलिस ने शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर मृतका आरती का शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। दूसरी और पुलिस थाने में मृतका के चाचा की रिपोर्ट पर पति, सास और जेठ के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है।

पुलिस सूत्रों के अनुसार लाडनूं निवासी मृतका के चाचा लालाराम कालवा ने लिखित रिपोर्ट में बताया कि उनकी भतीजी आरती पुत्री ओमप्रकाश मेघवाल का विवाह 23 नवंबर 2023 को बीदासर निवासी भागूराम पुत्र तोलाराम के साथ हुआ था। शादी के कुछ समय बाद से ही आरती के ससुराल वाले पति भागूराम, सास संपू और जेठ उदाराम उसे दहेज की मांग को लेकर शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगे थे। रिपोर्ट में बताया गया कि आरोपी उसे आए दिन दहेज के लिए पीटते और ताने देते थे। रिपोर्ट के अनुसार, जेठ उदाराम आरती को अक्सर यह कहकर डराता था कि उसने तीन शादियां की हैं और वह अपने छोटे भाई की भी दूसरी शादी करवा देगा। इन तानों और प्रताड़ना के कारण आरती का जीना दूभर हो गया था। रिपोर्ट में मृतका के चाचा ने बताया कि 6 अप्रैल को आरती ने अपने भाई मनीष को फोन कर बताया था कि उसके साथ फिर से मारपीट की गई है। इसी प्रताड़ना से तंग आकर आरती ने आत्मघाती कदम उठाते हुए अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। वहीं पुलिस ने मृतका के चाचा कि रिपोर्ट पर बीएनएस की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है मामले की जांच बीदासर पुलिस उपाधीक्षक नेमीचंद चौधरी कर रहे है।

अलवर में 15 क्विंटल प्लास्टिक जब्त की

अलवर, (निसं)। अलवर नगर निगम-कमिश्नर के ऑफिस के सामने सिंगल यूज प्लास्टिक के गोदाम पर कार्रवाई कर प्लास्टिक जब्त किया गया। नगर निगम की टीम ने बुधवार को रामबाबू वाली गली से 20 कट्टे सिंगल यूज प्लास्टिक जब्त किये। वहीं इससे पहले मंगलवार को स्वर्ग रोड से भी करीब 15 कट्टे प्लास्टिक से भरे मिले थे। इन्हें भी जब्त कर दो दिन में दो जगह से करीब 15 क्विंटल प्लास्टिक जब्त की गई है। इस माल की कीमत 2 लाख रुपए से अधिक है।

नगर निगम की ईओ निशा लखानी ने बताया कि सिंगल यूज प्लास्टिक पूरी तरह प्रतिबंधित है। मिलने पर माल जब्त के अलावा जुर्माना लगाया जाता है। कहीं भी सिंगल यूज प्लास्टिक होने की जानकारी मिलने पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम की ईओ निशा लखानी ने बताया कि अलवर शहर में मंगलवार को स्वर्ग रोड पर ट्रांसपोर्ट कंपनी से 15 कट्टे जब्त किए गए थे। वहीं बुधवार को घंटाघर पर रामबाबू गली में गोदाम से करीब 20 कट्टे जब्त किए गए हैं। दोनों जगहों पर जब्त माल के आधार पर मालिक पर जुर्माना लगाया जाएगा।

तारकोल की जगह काले तेल से सड़क बनाने का आरोप

- 11 दिन में उखड़ने लगी सड़क, ग्रामीणों का आरोप है कि अफसरों से शिकायत के बाद भी घटिया निर्माण हुआ
- अलवर के निकट रामगढ़ रोड पर देसूला में बनाई करीब 1 किमी की रोड में ग्रामीणों ने तारकोल की जगह आधा काला तेल काम लेने का आरोप लगाया

अलवर, (निसं)। अमेरिका-ईरान तनाव के चलते तारकोल (बिटुमन) के दाम आसमान छू रहे है, तो अब सड़क बनाने में तारकोल की जगह काला तेल काम में लेने की शिकायतें आना शुरू हो गई हैं। करीब 11 दिन पहले अलवर के निकट रामगढ़ रोड पर देसूला गांव में बनाई करीब 1 किलोमीटर की रोड में ग्रामीणों ने तारकोल की जगह आधा काला तेल काम लेने का आरोप लगाया है। दिन में जब घटिया काम का विरोध किया तो ठेकेदारों ने एक ही रात में पूरा रोड जल्दबाजी में तैयार कर दिया। अब सड़क बनते ही छोटे-छोटे गड्ढे दिखने लगे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि बारिश में पोल खुल जाएगी। इसमें रोड़ियों के ऊपर शुरुआत में तारकोल की जगह काला तेल काम लिया गया। अफसरों को शिकायत की तो बोले कि 19 लाख की जगह 12 लाख रुपए ही मंजूर हुए हैं। इसलिए बजट की कमी से दिक्कत आई है। आगे ठीक करा देंगे।

बीजेपी के एमआईए मंडल महामंत्री सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि देसूला में यह करीब एक किलोमीटर रोड दो साल पहले मंजूर हुई थी, जिसे बनवाने के लिए एक्सईएन से लेकर जेईएन तक खूब सिफारिश की। दोनों मंत्रियों तक गए। अब 26 मार्च को रातों रात रोड बना गए। दिन में घटिया सड़क बनाने का विरोध किया तो रात में फटाफट बना दी। सड़क के दोनों तरफ रोड़ियां (गिट्टी) तक नहीं डाली गई। जब अफसरों से शिकायत की तो बोले कि रोड के लिए 19 लाख रुपए की जगह 12 लाख रुपए आए हैं। इस घटिया रोड की 181 पर मुख्यमंत्री को भी शिकायत की है।

अवैध अफीम बरामद, एक गिरफ्तार

भीलवाड़ा, (निसं)। जिले की गांधीनगर थाना पुलिस ने गश्त के दौरान एक संदिग्ध युवक को रोककर तलाशी ली, जिसके कब्जे से 850 ग्राम अवैध अफीम बरामद की गई है।

अति. पुलिस अधीक्षक पारसमल जैन के निर्देश व वृत्ताधिकारी (शहर) सज्जन सिंह सांखला के सुपरविजन में गांधीनगर थानाधिकारी डॉ. नेहा राव के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया था। टीम को क्षेत्र में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने की जिम्मेदारी दी गई थी। पुलिस के अनुसार, छह अप्रैल को गश्त के दौरान टीम ने संदिग्ध लग रहे युवक भोमाराम (25) पुत्र गंगाराम जाट, निवासी डूडीनगर आगोलाई, थाना बालेसर, जिला जोधपुर को रोककर उसकी तलाशी ली। तलाशी में उसके पास से 850 ग्राम अफीम मिली। वैध लाइसेंस या परमिट नहीं होने पर पुलिस ने अफीम को जब्त कर आरोपी को तुरंत हिरासत में ले लिया। थाना गांधीनगर में आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है। पुलिस अब यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि आरोपी अफीम कहां से लाया था और इसकी सप्लाई भीलवाड़ा में कहां की जानी थी।

कार्यालय नगरपालिका, रतननगर (चूरू)
फोन नं- 01562-281224 ईमेल- mun_rnagar@yahoo.in
Date : 06-04-2026

Notice Inviting Bid

Bids for of drainage and computer work invited from interested bidders upto 11:30 AM 09-04-2026 Other particulars of the bid may be visited on the procurement portal (http://sppp.raj.nic.in) of the state official website.
UBN No.: DLB2627WSRC00544, DLB2627WSRC00545, DLB2627WSRC00547, DLB2627WSRC00548, DLB2627SSRC00550
Raj.Samwad/C/26/481 Executive officer Municipal Board, Ratannagar

कार्यालय नगर परिषद बारां (राज.)
E-Mail : nagarpalikabaran@gmail.com स्टेशन रोड, बारां Phone : 07453-230106
क्रमांक : नप‍ब/निर्माण/2026/159-161 दिनांक : 02.04.2026

ई-टेण्डर सूचना संख्या : निर्माण 01/2026-27

नगर परिषद बारां द्वारा राजस्थान सरकार के अभियांत्रिकी विभागों में सक्षम श्रेणी में पंजीकृत संवेदकों अथवा पीडब्ल्यूएफ‍आर रूल्स के अन्तर्गत पात्र संवेदकों से यूरिनल एवं सुलभ कॉम्पलेक्स मरम्मत कार्य के लिये निर्धारित प्रपत्र में ऑनलाईन निविदा आमन्त्रित की जाती है। संवेदक निविदा प्रपत्र व विवरण पोर्टल www.sppp.rajasthan.gov.in व http://eproc.rajasthan.gov.in पर देखें। कार्य की लागत 41.56 लाख रुपये है तथा UBN No. DLB2627WSOB00187 है।
राज.संवाद/सी/26/496 आयुक्त नगर परिषद बारां

कार्यालय नगर निगम, उदयपुर
टाउनहॉल लिंक रोड, उदयपुर (राज.) 313001
दूरभाष स.0294-2421255, 2420013, Helpline no. 0294-2426262 वेबसाइट. www.udaipurmc.org
क्रमांक : निविदा/2026-27/ई-02 दिनांक :- 03.04.2026

(ई-भुगतान) बोली आमन्त्रण सूचना संख्या - ई 02/2026-27

नगर निगम कार्यालय उदयपुर द्वारा विभिन्न विकास कार्यों हेतु कुल राशि रु 70.17 लाख के कुल 03 कार्यों हेतु इच्छुक निविदादाताओं से निर्धारित निविदा प्रपत्र में ई-प्रोक्यूरमेन्ट प्रक्रिया के तहत निविदा आमन्त्रित की जाती है निविदा के कार्यों की प्रारम्भ तिथि 04.04.2026 एवं अंतिम तिथि 13.04.2026 तथा निविदा खुलने की तिथि 15.04.2026 रहेगी निविदा से संबंधित अन्य समस्त विवरण इंटरनेट साईट www.eproc.rajasthan.gov.in, www.sppp.rajasthan.gov.in पर देखे जा सकते है।
UBN No. UNP2627WSOB00003
राज.संवाद/सी/26/513 अधीक्षण अभियन्ता नगर निगम, उदयपुर

भरतपुर विकास प्राधिकरण, भरतपुर
क्रमांक : लेखा/भ.वि.प्रा./2026-27/3982-94 दिनांक :- 02/04/2026

ऑफलाईन निविदा सूचना सं0 01/2026-27

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से एजेंसियों/संवेदकों से निर्धारित प्रपत्र में ई. प्रोक्योरमेन्ट प्रक्रिया से कुल 04 कार्यों हेतु ऑनलाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती है।
उक्त कार्यों का विस्तृत विवरण, निविदा शर्ते, अनुमानित लागत राशि, निविदा बेचने, प्राप्त करने एवं खोलने की दिनांक आदि सम्पूर्ण विवरण वेबसाईट https://bhda.rajasthan.gov.in/home/dptHome एवं http://sppp.raj.nic.in portal पर देखा जा सकता है।
निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार का संशोधन http://sppp.raj.nic.in पोर्टल पर अवलोकन करें।
UBN विवरण :- WAQ2627SSOB00002, WAQ2627SSOB00003, WAQ2627SSOB00004, WAQ2627SSOB00005
राज.संवाद/सी/26/434 सचिव भरतपुर विकास प्राधिकरण, भरतपुर

कार्यालय नगर परिषद्, ब्यावर
1462-258665, 257509 Email Add: npbeawar@gmail.com
क्रमांक/निर्माण/2026-27/103 दिनांक:- 02.04.2026

ई-निविदा सूचना संख्या 02/2026-27

नगर परिषद, ब्यावर द्वारा परिषद क्षेत्र में राज्य सरकार से प्राप्त 15वें वित आयोग (अनटाईड), 6th FFC तथा निजी आय मद से 5 निर्माण कार्य निविदा के सम्बन्धित श्रेणी के पंजीकृत ठेकेदारों एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग के सक्षम पंजीकृत ठेकेदारों से E-Procurement प्रक्रिया के तहत केवल www.eproc.rajasthan.gov.in ऑनलाईन निविदा के माध्यम से निविदा आमंत्रित की जाती है। दिनांक 21.04.2026 सांय 06:00 बजे तक निविदा भरी जा सकती है एवं ई-निविदा फार्म शुल्क एवं प्रोसेसिंग फीस की राशि नगर परिषद के Axis Bank के खाता संख्या 914010005810609 आई.एफ.सी. कोड UTIB0001825 में जमा कराकर बैंक की रसीद/डी.डी./बैंकर चैक नगर परिषद, ब्यावर के निर्माण शाखा में दिनांक 22.04.2026 को प्रातः 11 बजे से पूर्व जमा कराना अनिवार्य करना अनिवार्य है। कुल 05 निर्माण कार्य की अनुमानित लागत 60.11 लाख रुपये है। ई-निविदा सूचना की समस्त शर्तें SPPP पोर्टल पर देखी जा सकती है।
जिसका NIB Code DLB2627A0169 है एवं UBN No. निम्नानुसार है:-
1. DLBWSOB00515, 2. DLBWSOB00518, 3. DLBWSOB00523, 4. DLBWSOB00525, 5. DLBWSOB00526
राज.संवाद/सी/26/504 आयुक्त नगर परिषद, ब्यावर

युवक का शव झील में मिला

जोधपुर, (कासं)। चौपासनी हाउसिंग बोर्ड स्थित रामनगर में घर से निकले युवक का शव कायलाना झील में मिला। युवक का पैर फिसलने से मौत होना बताया गया है।

मृतक के चाचा की तरफ से पुलिस में मर्ग की रिपोर्ट दी गई। हालांकि उसके लापता होने की गुमशुदगी पुलिस ने दर्ज की थी। चौपासनी हाउसिंग बोर्ड थाना पुलिस ने बताया कि 4 सेक्टर निवासी रमेश तोलानी ने मर्ग में रिपोर्ट दी। इसमें बताया कि उसका भतीजा रामनगर निवासी गिरीश तौलानी मंगलवार को घर से निकल गया था। बाद में उसका शव दोपहर में कायलाना झील में मिला। झील के किनारे उसका मोबाइल पड़ा होने पर गोताखोरों ने तलाश की, तब वह पानी में मिला। राजीव गांधी नगर पुलिस की कायलाना चौकी स्टाफ पहुंचा। युवक की पहचान बाद में गिरीश तौलानी पुत्र अशोक तौलानी के रूप में की गई। उसके चाचा रमेश तौलानी ने कायलाना में पैर फिसलने से गिरने की मर्ग में रिपोर्ट दी है।

सात करोड़ का सोना हड़पने वालों को नहीं पकड़ पाई पुलिस, परिवादी परेशान

गिरोह का मास्टरमाइंड हेमन्त सहित अनेक आरोपी पुलिस के हाथ नहीं लगे हैं

- बताया जा रहा है कि पुलिस ने इस मामले में अभी तक रूपा झुनझुनवाला और विजय झुनझुनवाला को ही पकड़ा है

बीकानेर, (निसं)। करीब डेढ़ वर्ष पहले आभूषण बनाने का कहकर कई स्वर्ण व्यापारियों का सोना हड़प ले जाने के मामले में पुलिस से अभी भी नामजद पांच आरोपी पकड़ से दूर हैं। जिसके चलते परिवादी मानसिक परेशानी झेल रहे हैं। इस मामले को लेकर परिवादीगण अनेक बार पुलिस के पास जा चुके हैं, किन्तु उन्हें महज निराशा ही हाथ लगी है। पुलिस शेष आरोपियों को पकड़ने के लिये आश्वासन दे रही है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने इस मामले में अभी तक रूपा झुनझुनवाला और विजय झुनझुनवाला को ही पकड़ा है। इस गिरोह का मास्टरमाइंड हेमन्त सहित अनेक आरोपी पुलिस के हाथ नहीं लगे है। जानकारी मिली है कि आरोपियों ने करीब सात करोड़ का सोना गबन किया है।

जानकारी के अनुसार हुकमचंद सोनी की ओर से अक्टूबर 2024 में नयाशहर थाने में परिवाद दर्ज किया गया था। करीब डेढ़ वर्ष बाद भी पुलिस के हाथ महज दो आरोपी लगे हैं। इस बीच परिवादी की ओर से कई बार थाना अधिकारी व जिला पुलिस अधीक्षक को लिखित परिवाद देकर शेष आरोपियों को गिरफ्तार करने तथा माल बरामदगी की गुहार लगा चुके हैं। उसके बाद भी पुलिस की शिथिलता के कारण परिवादी को न्याय नहीं मिल रहा है। बताया जा रहा है कि 2105 ग्राम सोने न बरामदगी हो रही है और न ही आरोपी पुलिस की पकड़ में आ रहे है। जबकि परिवादी थाने के चक्कर लगा लगाकर थक चुका है। मामला शहर के नयाशहर थाने में दर्ज है। जिसमें परिवादी ने एक महिला सहित पांच जनों पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।

जानकारी के अनुसार जस्सूसर गेट के बाहर श्रीनाथ ज्वैलर्स के हुकमचंद सोनी पुत्र मूलचंद ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि आरोपियों ने षडयंत्रपूर्वक मेरा व अन्य व्यापारियों का सोना आभूषण बनाने का कहकर ले लिया। इसके बाद उन्होंने उक्त सोना अपने निजी कार्य में काम में लेकर हड़प लिया। आरोपियों ने न तो सोना दिया और नहीं आभूषण बनाकर दिए। पुलिस ने परिवादी की रिपोर्ट पर साल्ट लेक कोलकाता कलकत्ता निवासी विक्रम झुनझुनवाला उर्फ विक्की, अक्षत पुत्र विक्रम झुनझुनवाला, रूपा पत्नी विक्रम झुनझुनवाला, श्रीकांत सिकरिया पुत्र सज्जन, हेमंत सिकरिया पुत्र सज्जन के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मामले की जांच उपनिरीक्षक राकेश गोदारा को सौंपी गई है। आरोप है कि ये लोग नाम बदल बदलकर बीकानेर के अनेक स्वर्ण व्यवसायियों से इस प्रकार की धोखाधड़ी कर चुके हैं, जिनके खिलाफ पूर्व में भी तीन मुकदमे दर्ज हैं, जबकि दो मुकदमे कलकत्ता में भी दर्ज किये जा चुके हैं। गौरतलब है कि इससे पूर्व भी ब्रह्मपुरी चौक निवासी जयप्रकाश नथमल सोनी व एक अन्य व्यापारी कैलाश सोनी ने भी इनके खिलाफ मामले दर्ज करवाए हुए हैं, जिनकी जांच पुलिस कर रही है। परिवादियों का आरोप है कि पुलिस ऐसे धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ गंभीरता से कार्रवाई नहीं कर रही है।